भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 3596

उत्तर देने की तारीखः 17.12.2024

धर्मांतरित सदस्यों को अयोग्य ठहराना

3596. डॉ. मन्ना लाल रावतः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अल्पसंख्यक समुदाय के उन व्यक्तियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की पात्रता हेतु अयोग्य ठहराने/वंचित करने का कोई प्रावधान है, जिन्होंने अपनी 'विशिष्ट संस्कृति' को त्याग दिया है और ईसाई धर्म तथा इस्लाम अपना लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का धर्मांतरित सदस्यों को अनुसूचित जनजाति की परिभाषा से हटाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): समय-समय पर संशोधित संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 के पैरा 3 के अनुसार, अनुसूचित जाति के वे सदस्य जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से भिन्न धर्म को मानते हैं, अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं माने जाएंगे।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि अनुसूचित जनजातियों के संबंध में, वे किसी भी धर्म को मान सकते हैं।

(ग): धर्मांतरित सदस्यों को अनुसूचित जनजाति की परिभाषा से अयोग्य ठहराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।

******